न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 162/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/257

प्रार्थी:– **बनाम** **अप्रार्थीगण :–**

1. रूपाराम पुत्र शंकरलाल निवासी वडेर का वास, खैरवा, तहसील पाली, जिला पाली
2. अजीज खाँ पुत्र इस्लामुदीन निवासी राजपुतों का बास खैरवा, तहसील पाली जिला पाली राजस्थान।

1. ग्राम पंचायत खैरवा, पंचायत समिति पाली, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत खैरवा तहसील पाली जिला पाली
2. मजदूर एकता समिति खैरवा, जरिये अध्यक्ष मजदूर एकता समिति खैरवा, जिला पाली राज.
3. अध्यक्ष कमठा मजदूर यूनियन जरिये गनी खाँ पुत्र अजीम खाँ
4. योगेश कुमार पुत्र मोहनलाल
5. निजामूदीन पुत्र मिश्रु खाँ निवासीगण ग्राम खैरवा, तहसील पाली जिला पाली (राज.)
6. भंवरलाल पुत्र रूघनाथ पुत्र उदाराम जाति प्रजापत (कुम्हार) निवासी खैरवा तहसील पाली जिला पाली (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाणा।
2. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद सफी पठान।
3. अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल प्रजापत।
4. अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार व्यास।

–: निर्णय :–

दिनांक : 09/12/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा मिसल संख्या 08/2007–08 दिनांक 16.03.2008, संकल्प संख्या 03(8) दिनांक 05.01.2008 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 3579 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत में जैर निगरानी पट्टे का रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 वक्त बहस अनुपस्थित होने से उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

Sd/-
अति. जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे की मिसल दिनांक 05.01.2008 को दायर की गई और उसी दिनांक को प्रस्ताव के द्वारा उक्त पट्टा जारी किया गया जिसे ग्राम पंचायत ने दिनांक 16.03.2008 को जारी किया। ग्राम पंचायत ने मात्र 2 माह 10 दिन के समयान्तराल में उक्त पट्टा जारी कर दिया जो कि पंचायती राज नियमों के विपरीत है। उक्त पट्टा नियम 159 के तहत संस्था को जारी किया गया जबकि पट्टाधारक रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। जैर निगरानी आराजी के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय पाली में प्रस्तुत वाद में अप्रार्थी ने स्वीकार किया कि जैर निगरानी आराजी पूर्व में रूघनाथ कुम्हार की थी और शेष भूमि को अप्रार्थी ने अपनी कब्जा सुदा भूमि बताया है। उक्त प्रकरण में राजीनामा हुआ और डिक्री कायम की लेकिन उक्त राजीनामा केवल अप्रार्थी संख्या 3 व अप्रार्थी संख्या 5 के मध्य हुआ उसमें प्रभावित पक्षकार के राजीनामें पर कोई हस्ताक्षर नहीं है। उक्त राजीनामें की डिक्री से अप्रार्थी संख्या 4 व 5 ने गिफ्ट डीड निष्पादित की। जैर निगरानी आराजी सार्वजनिक चौक की भूमि है तथा वर्तमान में खाली पड़ी है। प्रार्थीगण ग्राम खैरवा के निवासी है और उक्त भूमि सार्वजनिक भूमि होने से वो प्रकरण में प्रभावित पक्षकार है। अप्रार्थी उक्त फर्जी पट्टे की आड़ में शेष भूमि पर भी कब्जा करने हेतु आमदा है। इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी का सिविल वाद वर्ष 2017 से विचाराधीन है जबकि उक्त पट्टा वाद से पहले ही ग्राम पंचायत द्वारा जारी हो रखा है। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी के पक्ष में व्यक्तिगत रूप से पट्टा जारी नहीं करके मजदूर संगठन को पट्टा जारी किया है तो प्रार्थी प्रकरण में व्यथित पक्षकार कैसे हुये। सिविल न्यायालय द्वारा जैर आराजी की डिक्री जारी कर दी, जो कि उभयपक्ष के लिये समान रूप से लागू है। प्रकरण में अप्रार्थी ने रूघनाथ जी का पट्टा पेश किया, प्रकरण में यह परीक्षण का विषय है कि उनके पूर्वजों का पट्टा कहा से आया। ग्राम पंचायत ने उक्त भूमि सार्वजनिक रूप से मजदूर संगठन को आवंटित की है। प्रार्थी ने इतने समय पश्चात् उक्त निगरानी पेश की जबकि उन्हें सिविल न्यायालय में वाद दायर करना चाहिये था। जैर आराजी की पूर्व में जिला कलक्टर, न्यायालय पाली में निगरानी पेश की गई थी, जिसे खारिज किया जा चुका है इसलिये प्रार्थी पुनः उसी पट्टे की निगरानी पेश नहीं कर सकते। प्रकरण में शेष विवादित भूमि अन्य लोगों की है। ग्राम पंचायत ने विधिनुसार उक्त पट्टा जारी किया है। अतः निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 5 ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी का सिविल न्यायालय में दावा पेश हुआ जिसमें ग्राम पंचायत पक्षकार है। योगेश, भंवरलाल का आम मुख्तियार है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा शुल्क देकर जारी किया गया तथा पट्टे का सम्पूर्ण रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध है लेकिन उनके द्वारा भेजा नहीं गया। सिविल न्यायालय में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हुआ जिसमें सरपंच के भी हस्ताक्षर है और उक्त न्यायालय द्वारा जो डिक्री जारी की गई उसकी कही भी अपील नहीं की गई। प्रार्थी रूपाराम का पट्टे सुदा भूमि के आस–पास

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

कोई लेना देना नहीं है। रूपाराम वडेरवास का निवासी है इसलिये हितबद्ध पक्षकार नहीं है। प्रार्थी संख्या 2 भी किसी अन्य मौहल्ले में रहता है। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत ने निर्माण कार्य की अनुमति भी दी है। यूनियन का वर्तमान में उक्त भूमि पर कब्जा है जो कि सामूदायिक भवन में संचालित है। वर्ष 1964 में जारी पट्टे को न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा खारिज किया जा चुका है। अंप्रार्थी संख्या 6 प्रकरण में जरिये प्रार्थना–पत्र पक्षकार बने है यदि उनकी पट्टासुदा भूमि पर पट्टा जारी होता तो वे स्वयं निगरानी पेश करते। सिविल न्यायालय की डिक्री को निगरानी में पारित निर्णय से खारिज नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इसलिये प्रार्थी द्वारा बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 6 ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी सिविल न्यायालय में स्वयं उक्त भूमि को रघुनाथजी की पट्टेसुदा भूमि बता रहे है। उक्त पट्टा रूघनाथजी के पक्ष में वर्ष 1964 में जारी किया गया था जिसका नाप संशोधन करवाने हेतु जिला कलक्टर न्यायालय, पाली में निगरानी पेश की गई थी जिसे न्यायालय द्वारा खारिज की गई थी। उक्त पट्टा रघुनाथजी द्वारा निलामी में खरीद किया गया था, इसलिये हमारी पट्टासुदा भूमि में ग्राम पंचायत को पुनः पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। जब हमें प्रकरण की जानकारी हुई तब हमने पक्षकार बनने का प्रार्थना–पत्र पेश किया। पट्टे की प्रमाणित प्रति में कोई कांट–छांट नहीं है। ग्राम पंचायत ने पट्टे पर पट्टा जारी किया है, जो कि विधिविरूद्ध है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा मिसल संख्या 08/2007–08 दिनांक 16.03.2008, संकल्प संख्या 3(8) दिनांक 05.01.2008 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 3579 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि प्रार्थी ग्राम खैरवा का निवासी नहीं है और वे प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त तथ्य का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम खैरवा में वडेर का वास का निवासी है, न कि किसी अन्य ग्राम का इसलिये वो प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है। इस सम्बन्ध में राज पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 में यह स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्व व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहियो के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य का परिक्षण कर सकती है। हितबद्ध व्यक्ति की अवधारणा एक कठोर या संकुचित शब्द नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने Jasbhai Motibhai Desai vs Roshan Kumar तथा Subash Babu vs State of A.P. जैसे निर्णयों में स्पष्ट किया है कि aggrieved person का दायरा व्यापक है और इसका निर्धारण इस बात से होता है कि impugned निर्णय से किसी व्यक्ति की वैध अपेक्षा, सामुदायिक अधिकार या स्थानीय हित प्रभावित होते हों, वहॉ ऐसा व्यक्ति

अति. जिला कलेक्टर, पाली

हितबद्ध माना जाता है। वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी वडेर का वास, ग्राम खैरवा का निवासी है और पंचायत द्वारा पारित संकल्प एवं उसकी पालना में जारी किए गए पट्टे से उसकी तथा सम्पूर्ण ग्राम समुदाय की साझा भूमि हित एवं अधिकार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। अतः प्रार्थी न केवल क्षेत्राधिकार के आधार पर बल्कि प्रभावित हित के आधार पर भी धारा 97 के तहत पूर्णतः हितबद्ध व्यक्ति है। अप्रार्थी का यह कहना कि प्रार्थी उक्त ग्राम का निवासी नहीं है, अप्रार्थी का उक्त कथन न तो प्रमाणित है और न ही विधिक मापदण्डों के अनुसार हितबद्ध व्यक्ति की अवधारणा को संकुचित करता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार स्वप्रेरणा से भी ग्राम पंचायत के अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य का परिक्षण कर सकती है। इसलिये प्रार्थी का आवेदन विधिसंगत तथा धारा 97 की भावना के अनुरूप है।

अधिवक्ता अप्रार्थी का अन्य उज्र यह था कि प्रार्थी ने जैर निगरानी याचिका लगभग 16 वर्ष के विलम्ब के बाद पेश की, जो म्याद बाहर है। अधिवक्ता प्रार्थी ने विपक्षी अधिवक्ता के उज्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि जब ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया गया हो, तो वहां पर समयसीमा बाध्यकारी नहीं होती है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court Chimna lal vs State of Rajasthan and others के अनुसार When no period of limitation is provided then in our opinion the same has to be exercised within a reasonable time and that will depend upon facts and circumstances of each case like ; (i) when there is fraud played by the parties; (ii) the orders are obtained by mis-representation or collusion with public officers by the private parties; (iii) Orders are against the public interest; (iv) the orders are passed by the authorities who have no jurisdiction; (v) the order are passed in clear violation of rules or the provisions of the Act by the authorities; and (vi) void orders or the orders are void ab initio being against the public policy or otherwise. The common law doctrine of public policy can be enforced wherever an action affects/offends the public interest or where harmful result of permitting the injury to the public at large is evident. In such type of cases, revisional powers can be exercised by the authority at any time either suo moto or as and when such orders are brouth to their notice. इसी प्रकार 2018(2) DNJ (Raj.) 497 Usha Jugtawat vs State of Rajasthan Thro' Additional District Collector (Land Conversion) Jodhpur & Ors. में यह यह उल्लेख किया गया कि No limitation for exercising the reisional jurisdiction if pattas were issued in illegal manner and committing fraud. साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2015 (1) DNJ 443 Looni Devi & 10 Ors. vs State of Rajasthan & Ors. में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Allotment obtained by playing fraud is void and no limitation for setting aside of such void allotment." राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में निगरानी से सम्बन्धित कोई विशेष समय सीमा या सीमित समय का उल्लेख नहीं है। हस्तगत प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court में प्रतिपादित

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

सिद्धान्त अनुसार जब किसी अधिनियम में कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है, तो वह प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा तथा वर्णित 6 प्रकार की कार्रवाई को अवैध माना एवं इस प्रकार के मामलों में, प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षण शक्तियों को प्रयोग किया जा सकता है या जब भी ऐसे आदेश उनके ध्यान में लाए जाते है। साथ ही में विद्वान वकील के इस तर्क पर आते हुए कि 16 वर्ष के अस्पष्ट विलम्ब के बाद जारी किए गए जैर निगरानी पट्टे को चुनौती देने के लिए दायर याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था, यह कहना पर्याप्त है कि किसी वैध अधिकार के बिना प्राप्त जैर निगरानी पट्टे को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के रास्ते में कोई सीमा नहीं आनी चाहिए। इसलिये प्रकरण में म्याद कण्डोन करते हुये निगरानी श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 6 का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी पट्टा पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर जारी किया गया है जबकि शेष अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने इसका खण्डन करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने सार्वजनिक भूमि पर उक्त पट्टा यूनियन के पक्ष में जारी किया है और उक्त पुराने पट्टे को न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा पूर्व में खारिज किया जा चुका है। उक्त तथ्य की पुष्टि हेतु अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत पट्टे की प्रति का अवलोकन करने पर पाते है कि ग्राम पंचायत कोर्ट खैरवा द्वारा मिसल संख्या 30/63–64 की पालना में रूघनाथ पुत्र उदाराम कौम कुम्हार निवासी खैरवा के पक्ष में पट्टा संख्या 6 जारी हो रखा है, जिसका क्षेत्रफल 36 बाई 25 गज है और उक्त भूमि निलामी के द्वारा श्रीरूघनाथ द्वारा खरीद की गई, जो कि अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत निलामी सूची से प्रमाणित है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, 3 एवं 5 का कथन कि उक्त पट्टा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा खारिज किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण भंवरलाल बनाम ग्राम पंचायत खैरवा में पारित निर्णय दिनांक 08.03.2007 को अवलोकन करने पर पाते है कि भंवरलाल ने उक्त पट्टे में नक्शा व नाप संशोधन हेतु पेश किया था जो कि माननीय न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज किया गया कि ग्राम पंचायत की समस्त कार्रवाई में उक्त भूमि का क्षेत्रफल 750 वर्गगज अंकित है और उसी अनुसार पट्टा जारी किया है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में पारित निर्णय में कही भी यह अंकित नहीं है कि मिसल संख्या 30/63–64 की पालना में जारी पट्टा विधिविरूद्ध है अर्थात् वर्तमान में उक्त पट्टा प्रभावी है, ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अप्रार्थी का उक्त कथन पोषणीय नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

प्रकरण में विधिक प्रश्न यह प्रकट होता है कि क्या जैर निगरानी पट्टे का पूर्व में कोई पट्टा जारी हो चुका है अथवा नहीं ? इन तथ्यों की पुष्टि हेतु अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन करने पर यह पाते है कि भंवरलाल पुत्र रूघनाथजी ने बेचाण इकरारनामा दिनांक 06.03.2017 के द्वारा योगेशकुमार पुत्र मोहनलाल के पक्ष में ग्राम पंचायत कोर्ट, खैरवा द्वारा जारी रूघनाथ पुत्र उदाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6/63–64 की भूमि का बेचाण किया, उक्त बेचाणनामा में अंकितानुसार "....उक्त भूखण्ड में से पूर्वी भाग नाम 30 बाई 50 फीट

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

चुन्नीलाल कुनाजी लखारा को तथा शेष भाग में से उत्तरी भाग की तरफ बनाप 10 बाई 60 फीट हनीफजी को बेचाण किया हुआ है। इस प्रकार शेष रहा दक्षिणी–पश्चिमी भाग क्षेत्रफल 900 वर्गफीट लगभग को विक्रय करने का मुझे पूर्ण अधिकार है।" उपरोक्त बेचाण इकरारनामा से यह स्पष्ट है कि भंवरलाल द्वारा अपने पिता रूघनाथ के पक्ष में जारी पट्टे में से कुछ भाग चुन्नीलाल कुनाजी लखारा एवं कुछ भाग हनीफजी को बेचाण किया एवं शेष भाग उक्त बेचाणनामा द्वारा योगेश कुमार के पक्ष में बेचाण किया गया। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 3 व अन्य के द्वारा जिला एवं सेशन्स न्यायालय, पाली में प्रस्तुत स्थाई व्यादेश व उद्घोषणा के वाद के प्रथम पैरा में वादीगण ने अंकित किया कि ".....वादी संस्था का कब्जा है जिसका नजरी नक्शा वाद संलग्न पेश किया जा रहा है जो वाद पत्र का भाग है एवम् वादग्रस्त भूमि के नाम से नजरी नक्शे में संलग्न मार्क ई, एफ, जी, एच, आई, जे, भूमि वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित की जाऐगी। उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का 30–35 वर्षों से कब्जा है, पटटा वर्ष 2008 में जारी किया गया है। इसी प्रकार वादपत्र के दूसरे पैरा में यह अंकित किया कि वादग्रस्त भूमि के पूर्व की तरफ चुन्नीलाल पुत्र कुनाजी लाखारा व हनीफखॉ का कब्जासुदा मकान आया हुआ है जो नजरी नक्शे में ए, बी, सी, डी, के रूप में 50 बाई 60 का आया हुआ है। उक्त भूखण्ड ए, बी, सी, डी, पूर्व में रूघनाथ कुमार का बताते है जिनके उत्तराधिकारियों ने चुन्नीलाल लखारा व हनीफखॉ को बेचना बताते है। इसके अलावा वादीगण की भूमि व पडौसी चुन्नीलाल व हनीफखॉ की भूमि के बीच कोई भूमि पड़त नहीं है.....।" उक्त वादपत्र में अप्रार्थी संख्या 3 स्वयं का यह स्वीकृत तथ्य है कि उक्त भूमि पूर्व में रूघनाथजी की थी तथा प्रस्तुत वादपत्र में संलक्न नजरी नक्शा बेचाण इकरारनामा दिनांक 06.03.2017 की ताईद करता है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से प्रकरण में यह स्वीकृत और प्रमाणित कथन है कि जैर निगरानी आराजी पूर्व में रूघनाथजी की थी और बेचाण इकरारनामा एवं नजरी नक्शा से यह स्पष्ट है कि भंवरलाल द्वारा योगेश कुमार के पक्ष में बेचाण की गई भूमि के किसी विशेष हिस्से पर ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है जो कि पूर्व में जारी पट्टे सुदा भूमि पर पुनः पट्टा जारी करने की ताईद करता है। प्रकरण में अप्रार्थी का स्वीकृत और प्रमाणित कथन है कि जैर निगरानी आराजी रूघनाथजी की है तो उस तथ्य को पुनः साबित करने की आवश्यकता भी नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त RLW 2003(3) Raj. 1891 Madan lal vs Legal Representatives of Late Ram Prasad के अनुसार Evidence Act, 1872, Sec. 58-Facts admitted need not be proved-When there is a very specific and categorical admission of fact of the parties then that admission can be used against the party making the admission. उपर्युक्त समस्त तथ्यों से प्रकरण में यह प्रमाणित है कि ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में जारी पट्टा सुदा भूमि पर प्रश्नगत पट्टा जारी किया है, जब पूर्व में जारी पट्टा प्रभाव में है तो पश्चातवर्ती पट्टा Ab Initio Void होने से भी अपास्त योग्य है। जिसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अुनसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।"

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस अन्य उज्र यह था कि नियम 159 के तहत केवल रजिस्टर्ड संस्था को ही पट्टा जारी किया जा सकता है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा जिस यूनियन को प्रश्नगत पट्टा जारी किया है वह रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने विपक्षी अधिवक्ता के उज्र का विरोध करते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत ने मजदूर एकता समिति खैरवा जरिये अध्यक्ष को प्रश्नगत पट्टा जारी किया है तथा उक्त समिति वर्तमान में ग्राम में कार्यरत है एवं मौके पर निर्माण कार्य नहीं किया होने से सामूदायिक भवन में संचालित है और निर्माण कार्य हेतु ग्राम पंचायत से अनुमति ले रखी है, इसलिये ग्राम पंचायत ने विधिनुसार समिति के पक्ष में पट्टा जारी किया है। इस तथ्य के सम्बन्ध में तत्समय प्रचलित राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 के नियम 159 (2) के अनुसार पंचायत ग्राम सेवा सहकारी समिति/प्राथमिक कृषिक सहकारी सोसाइटी/बड़ी बहुउद्देशीय सोसाइटी/विपणन सोसाइटी के गोदामों/कार्यालयों आदि के लिए 1500 वर्गगज तक के भूखण्ड भी, पूर्विकता के आधार पर नियम 152 के उप–नियम (5) में उल्लिखित बाजार कीमत की 50 प्रतिशत पर आवंटित कर सकेगी। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा मजदूर एकता समिति खैरवा के पक्ष में प्रश्नगत पट्टा जारी किया गया है जो कि नियम 159 के तहत पात्र नहीं थी। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार उक्त समिति रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका खण्डन करने हेतु अधिवक्ता अप्रार्थी ने ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये जो अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों की ताईद नहीं करता हो। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त समिति के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में केवल तर्क किये है इसकी ताईद में कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य पेश नहीं किया। न्यायिक प्रक्रिया में केवल कथन करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे प्रमाणित करना आवश्यक होता है। यदि प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाते तो कथन केवल आरोप या दावे के समान होते हैं जिनका कोई ठोस समर्थन नहीं होता इसलिये न्यायालय ऐसे कथनों को स्वीकार नहीं करता। सम्बन्धित अधिवक्ता का यह दायित्व होता है कि वह अपने कथनों को प्रमाणित करे, बिना उचित सबूत के केवल कथन करना स्वीकार्य नहीं। इसके अतिरिक्त यदि पट्टाधारक ने ग्राम पंचायत से निर्माण कार्य की अनुमति ले रखी है तो उक्त अनुमति जैर निगरानी पट्टे की विधिकता को परिभाषित नहीं करती है। पट्टाधारक मजदूर एकता समिति खैरवा समिति उपर्युक्त पात्र संस्थाओं की श्रेणी में नहीं आती है अर्थात् उक्त समिति नियम 159 के तहत पात्र नहीं थी। अधिवक्ता अप्रार्थी ने समिति के रजिस्टर्ड होने का न पंजीकरण प्रमाणपत्र, न किसी सरकारी रजिस्टर की प्रविष्टि, न सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम/सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दस्तावेज की प्रति पेश नहीं की है। समिति का ग्राम में कार्यरत होना नियम 159 के अनुसार पात्रता नहीं देता

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

क्योंकि नियम में पात्रता का आधार स्पष्ट रूप से रजिस्टर्ड सहकारी संस्था होना निर्धारित हैं। अतः कार्यशीलता को पात्रता मानना नियमानुसार नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त समिति नियम 159 में वर्णित पात्र संस्थाओं में शामिल नहीं है और समिति के रजिस्टर्ड होने का कोई प्रमाण नहीं एवं दौराने बहस भी उक्त कथनों के खण्डन हेतु अप्रार्थी ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। प्रश्नगत पट्टा ऐसे संगठन के पक्ष में जारी किया गया जो राजस्थान पंचायती राज नियम 159 के अन्तर्गत पात्र नहीं था, तथा उसके रजिस्टर्ड होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा नियमों के अनुसार विधिपूर्ण नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उलपब्ध नहीं होना भी पट्टे की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह् अंकित करता है। भूमि का पट्टा तभी वैध माना जाता है जब वह स्पष्ट रूप से भूमि की सीमाएं, स्वामित्व और उपयोग के अधिकारों को प्रमाणित करता हो। राजस्थान पंचायती राज एक्ट और सम्बन्धित नियमों के अनुसार, पट्टा जारी करते समय उसका पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होता है। रिकॉर्ड के बिना पट्टा जारी करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है क्योंकि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही खत्म हो जाती है। बिना रिकॉर्ड के जारी पट्टे की वैधता संदिग्ध होती है। इसका अर्थ है कि पट्टा फर्जी, गलत या भ्रष्टाचार से प्रभावित हो सकता है। ग्राम पंचायत के पास पट्टे का पूरा रिकॉर्ड होना अनिवार्य है, बिना उचित दस्तावेज के पट्टा अस्वीकार्य होता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त AIR 1997 SC 1125 L. Chandra Kumar vs Union of India में स्पष्ट किया कि पट्टे के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और उचित रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त Ram singh vs State of UP, 2015 के अनुसार पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड का होना अनिवार्य है। बिना रिकॉर्ड के पट्टा की वैधता नहीं मानी जाएगी। ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड का गायब होना जानबूझकर दस्तावेजों से छेडछाड की आशंका को जन्म देता है, इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने 1957 AIR 882 Union of India vs T.R. Varma में स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड की अनुपलब्धता स्वयं में जांच का आधार है, खासकर जब वह किसी विवादित निर्णय से सम्बन्धित हो। इसी तरह 2003 RLW 1119 Ramchandra vs State of Rajasthan में यह अंकित किया कि यदि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा बिना वैध रिकॉर्ड के या बिना अधिसूचना के जारी किया गया है, तो वह आदेश कानूनन टिक नहीं सकता। यहां पर माननीय न्यायायल के न्यायिक दृष्टान्त AIR 1958 SC 32 M.C. Chockalingam vs Union of India में प्रतिपादित सिद्धान्त को उद्धत करना समीचीन प्रतीत होता है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि भूमि पट्टों के मामलों में पारदर्शिता और नियमों का पालन आवश्यक है, अन्यथा पट्टा रद्द किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया कि यदि पट्टे के साथ सम्बन्धित कोई भी रिकॉर्ड उलब्ध नहीं है, तो पट्टे को संदिग्ध माना जाएगा और वह रद्द किया जा सकता है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेशों में पारदर्शिता और रिकॉर्ड रखरखाव को

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

Sd

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जरूरी बताया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ही नहीं है, जो प्रकरण को संदेहास्पद बनाता है।

इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस अन्य मुख्य उज्र यह था कि जैर आराजी के सम्बन्ध में सिविल कोर्ट द्वारा डिक्री जारी हो चुकी है इसलिये जैर निगरानी पट्टे को न्यायालय हाजा में चुनौती नहीं दी जा सकती। जैर निगरानी आराजी के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली (राज.) द्वारा प्रकरण संख्या 68/2017 अध्यक्ष कमठा मजदूर यूनियन बनाम निजामुद्दीन में पारित आदेश दिनांक 29.11.2017 के द्वारा जरिये राजीनामा डिक्री जारी की गई है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने, जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को, चुनौती दी है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त Una Lal vs State of Rajasthan (2023:Rj-Jd;33690) And (2010) 1 WLC 472 uma soni vs Rajasthan State में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि It has been held that the patta issued by Gram Panchayat in contravention to the Rules of 1996 can be quashed in exercise of powers under Section 97 of the Act of 1994 तथा राजस्थान पंचायती राज नियम की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत के किसी आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य की जांच करने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को है। प्रकरण में यह विधिक प्रश्न उत्पन्न होता है कि "माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली (राज.) द्वारा प्रकरण संख्या 68/2017 अध्यक्ष कमठा मजदूर यूनियन बनाम निजामुद्दीन में पारित आदेश दिनांक 29.11.2017, इस मामले को किस हद तक प्रभावित करता है ?" इस बिन्दु को स्पष्ट करने हेतु प्रकरण में निहित विधिक पहलुओं का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में पट्टा संकल्प संख्या 3(8) दिनांक 05.01.2008 के द्वारा दिनांक 16.03.2008 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अनुसार ग्राम पंचायत को भूमि आवंटन एवं पट्टा जारी किए जाने का अधिकार है, यह अधिकार अकेले सरपंच को पद्रत्त नहीं हैं। पट्टा जारी किए जाने से पूर्व ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है और इसके पश्चात सरपंच को उस प्रस्ताव के अनुसार ही पट्टा जारी करना होता है। यदि सरपंच द्वारा बिना पंचायत के प्रस्ताव के पट्टा जारी किया जाता है, तो यह अवैध माना जाएगा और इसे चुनौती दी जा सकेगी। इस प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड उपलब्ध नहीं होना बताया है। इस मामले में जैर निगरानी पट्टे की प्रति का अवलोकन करने पर पाते है कि पट्टे की मिसल दिनांक 05.01.2008 को दर्ज की गई और उसी दिनांक को प्रस्ताव संख्या 3(8) के द्वारा प्रश्नगत पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये अर्थात् ग्राम पंचायत द्वारा जिस दिन पट्टे की मिसल दर्ज की उसी दिनांक को जैर निगरानी पट्टा जारी करने के आदेश पारित कर दिये यानि मिसल दर्ज करने और पट्टा जारी करने की प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी कर दी गई जिससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत ने प्रश्नगत पट्टा जारी करने से पूर्व न तो मौका निरीक्षण हेतु पंचों को नियुक्त किया, न ही कोई आपत्ति इश्तिहार जारी किया और न ही स्वतंत्र गवाहों के बयान लिये गये। प्रकरण में ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं करते हुये प्रश्नगत पट्टा जारी किया है। राजस्थान

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत की कार्रावाई को संशोधित, निरस्त, उल्टा या स्थगित या पुर्नविचार किए जाने की शक्तियां न्यायालय हाजा को प्रदत्त है। इस मामले में ग्राम पंचायत एक ही दिन में प्रश्नगत पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। जहां तक माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली द्वारा पारित निर्णय का प्रश्न है, तो उक्त प्रकरण में इस पट्टे को चुनौती ही नहीं दी गई थी। चूंकि धारा 97 में पंचायत की आज्ञा/कार्रवाई के सम्बन्ध में परीक्षण एवं अन्य उचित आदेश जारी किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारिता न्यायालय हाजा को ही प्रदत्त है तथा पट्टा, ग्राम पंचायत द्वारा पारित आज्ञा की अनुवर्ती कार्रवाई के तहत जारी किया जाता है। इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा जारी आज्ञा एवं उक्त आज्ञा की पालना में जारी पट्टे की वैधता को जांचने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा में निहित है। इस मामलें में ग्राम पंचायत ने मिसल दर्ज कर उसी दिन प्रश्नगत पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसे मान्यता प्रदान किया जाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृर्त करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा मिसल संख्या 08/2007–08 दिनांक 16.03.2008, संकल्प संख्या 03(8) दिनांक 05.01.2008 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 3579 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 09/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली